

JKLC:SECTL:SE:25

15th May 2025

- | | |
|--|---|
| <p>1 BSE Ltd.
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001
Through: BSE Listing Centre
Security Code No. 500380</p> | <p>2 National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051
Through: NEAPS
Symbol: JKLAKSHMI, Series: EQ</p> |
|--|---|

Dear Sir/ Madam,

Re: Newspaper Advertisement for Notice of hearing of Company Scheme Petition for Composite Scheme of Amalgamation and Arrangement between JK Lakshmi Cement Limited (“Amalgamated Company”), Udaipur Cement Works Limited (“Amalgamating Company 1”), Hansdeep Industries & Trading Company Limited (“Amalgamating Company 2”), Hidrive Developers and Industries Limited (“Amalgamating Company 3”) and their respective shareholders and creditors (“Scheme”).

Please find enclosed copies of the advertisements for notice of hearing before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Jaipur Bench to be held on 29th May 2025, in the following newspapers:

- “Financial Express”- All editions in English
- “Indian Express”-Jaipur edition in English
- “Rashtradoot”- Udaipur edition in Hindi
- “Jagruk Times”-Sirohi edition in Hindi

Thanking you and always assuring you our best co-operation at all times.

For JK Lakshmi Cement Ltd.
Amit
Chaurasia 
(Amit Chaurasia)
Company Secretary

Encl: a.a.

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
BENCH AT JAIPUR
FORM NO. NCLT 3A**

**Advertisement detailing petition
[Pursuant to Rule 35 of National Company Law Tribunal Rules, 2016]
COMPANY PETITION (CAA) NO. 5/230-232/JPR/2025
CONNECTED WITH
COMPANY SCHEME APPLICATION (C.A.A) NO. 01/230-232/JPR/2025**

In the matter of the Companies Act, 2013

AND

In the matter of application under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation and Arrangement for Amalgamation of Udaipur Cement Works Limited ("Petitioner Company 2" / "Amalgamating Company 1"), Hansdeep Industries & Trading Company Limited ("Petitioner Company 3" / "Amalgamating Company 2") and Hidrive Developers and Industries Limited ("Petitioner Company 4" / "Amalgamating Company 3") into and with JK Lakshmi Cement Limited ("Petitioner Company 1" / "Amalgamated Company") and their respective shareholders and creditors.

JK LAKSHMI CEMENT LIMITED

CIN: L74999RJ1938PLC019511

A listed public company incorporated under the Companies Act, 1913, having its registered office at Jaykaypuram, Basantgarh, Dist. Sirohi, Rajasthan-307019

....Petitioner Company 1 / Amalgamated Company

UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED

CIN: L26943RJ1993PLC007267

A listed public company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Shripati Nagar, CFA, PO: Dabok, Udaipur-313022, Rajasthan

....Petitioner Company 2 / Amalgamating Company 1

HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMPANY LIMITED

CIN: U74899RJ1993PLC096253

A public company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Jaykaypuram, Basantgarh, Dist. Sirohi, Rajasthan-307019

....Petitioner Company 3 / Amalgamating Company 2

HIDRIVE DEVELOPERS AND INDUSTRIES LIMITED

CIN: U23941RJ2012PLC096250

A public company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Jaykaypuram, Basantgarh, Dist. Sirohi, Rajasthan-307019

....Petitioner Company 4 / Amalgamating Company 3

NOTICE OF HEARING AND FINAL DISPOSAL OF COMPANY PETITION

NOTICE is hereby given that the Company Petition (CAA) No. 5/230-232/JPR 2025 ("Petition") under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of Companies Act, 2013, read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("Rules"), for sanction of the Scheme of Amalgamation and Arrangement of Amalgamating Company 1, Amalgamating Company 2, Amalgamating Company 3 and Amalgamated Company, and their respective shareholders and creditors, for amalgamation of Amalgamating Company 1, Amalgamating Company 2 and Amalgamating Company 3 into and with the Amalgamated Company was admitted by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Jaipur Bench ("NCLT") on 17.04.2025, on which date the Hon'ble NCLT has passed an Order issuing certain directions (including for service of notice on various regulatory authorities and for publication of this advertisement).

In terms of Rule 16 of the Rules and directions of the Hon'ble NCLT, this Notice is hereby given that the next date of hearing before the Hon'ble NCLT in this matter has now been fixed for 29.05.2025.

If any person is desirous of supporting or opposing the Petition, they should send to the undersigned representative of the Petitioner Company 1 or the advocate for Petitioner Companies, a notice of his intention, signed by him or by his advocate, with his name and address, so as to reach the registered office of Petitioner Company 1 (as mentioned above) or the office of the advocate for Petitioner Companies, not later than 2 (two) days before the aforesaid date fixed for next hearing of the Petition. Where any person seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition along with a copy of his affidavit shall be furnished along with such notice. A copy of the Petition shall be furnished by the undersigned to any person requiring the same, on payment of the prescribed charges.

Advocate for Petitioner Companies,
Kalpataru Tripathy, Advocate
KT Advisors LLP
CISRS house, 14 Jangpura B
Mathura Road, New Delhi - 110014

for JK Lakshmi Cement Limited
Sd/-
Amit Chaurasia
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: May 13, 2025

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
BENCH AT JAIPUR
FORM NO. NCLT 3A**

**Advertisement detailing petition
[Pursuant to Rule 35 of National Company Law Tribunal Rules, 2016]
COMPANY PETITION (CAA) NO. 5/230-232/JPR/2025
CONNECTED WITH
COMPANY SCHEME APPLICATION (C.A.A) NO. 01/230-232/JPR/2025**

In the matter of the Companies Act, 2013

AND

In the matter of application under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation and Arrangement for Amalgamation of Udaipur Cement Works Limited ("Petitioner Company 2" / "Amalgamating Company 1"), Hansdeep Industries & Trading Company Limited ("Petitioner Company 3" / "Amalgamating Company 2") and Hidrive Developers and Industries Limited ("Petitioner Company 4" / "Amalgamating Company 3") into and with JK Lakshmi Cement Limited ("Petitioner Company 1" / "Amalgamated Company") and their respective shareholders and creditors.

JK LAKSHMI CEMENT LIMITED

CIN: L74999RJ1938PLC019511

A listed public company incorporated under the Companies Act, 1913, having its registered office at Jaykaypuram, Basantgarh, Dist. Sirohi, Rajasthan-307019

....Petitioner Company 1 / Amalgamated Company

UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED

CIN: L26943RJ1993PLC007267

A listed public company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Shripati Nagar, CFA, PO: Dabok, Udaipur-313022, Rajasthan

....Petitioner Company 2 / Amalgamating Company 1

HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMPANY LIMITED

CIN: U74899RJ1993PLC096253

A public company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Jaykaypuram, Basantgarh, Dist. Sirohi, Rajasthan-307019

....Petitioner Company 3 / Amalgamating Company 2

HIDRIVE DEVELOPERS AND INDUSTRIES LIMITED

CIN: U23941RJ2012PLC096250

A public company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Jaykaypuram, Basantgarh, Dist. Sirohi, Rajasthan-307019

....Petitioner Company 4 / Amalgamating Company 3

NOTICE OF HEARING AND FINAL DISPOSAL OF COMPANY PETITION

NOTICE is hereby given that the Company Petition (CAA) No. 5/230-232/JPR 2025 ("Petition") under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of Companies Act, 2013, read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("Rules"), for sanction of the Scheme of Amalgamation and Arrangement of Amalgamating Company 1, Amalgamating Company 2, Amalgamating Company 3 and Amalgamated Company, and their respective shareholders and creditors, for amalgamation of Amalgamating Company 1, Amalgamating Company 2 and Amalgamating Company 3 into and with the Amalgamated Company was admitted by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Jaipur Bench ("NCLT") on 17.04.2025, on which date the Hon'ble NCLT has passed an Order issuing certain directions (including for service of notice on various regulatory authorities and for publication of this advertisement).

In terms of Rule 16 of the Rules and directions of the Hon'ble NCLT, this Notice is hereby given that the next date of hearing before the Hon'ble NCLT in this matter has now been fixed for 29.05.2025.

If any person is desirous of supporting or opposing the Petition, they should send to the undersigned representative of the Petitioner Company 1 or the advocate for Petitioner Companies, a notice of his intention, signed by him or by his advocate, with his name and address, so as to reach the registered office of Petitioner Company 1 (as mentioned above) or the office of the advocate for Petitioner Companies, not later than 2 (two) days before the aforesaid date fixed for next hearing of the Petition. Where any person seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition along with a copy of his affidavit shall be furnished along with such notice. A copy of the Petition shall be furnished by the undersigned to any person requiring the same, on payment of the prescribed charges.

Advocate for Petitioner Companies,
Kalpataru Tripathy, Advocate
KT Advisors LLP
CISRS house, 14 Jangpura B
Mathura Road, New Delhi - 110014

for JK Lakshmi Cement Limited
Sd/-
Amít Chaurasia
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: May 13, 2025

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
जयपुर पीठ के समक्ष

प्रपत्र संख्या एनसीएलटी 3ए
याचिका के विवरण का विज्ञापन
[राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियमावली, 2016 के नियम 35 के अंतर्गत]

कंपनी याचिका (सीएए) संख्या 5/230-232/जेपीआर/2025
जो संबंधित है
कंपनी योजना आवेदन (सी.ए.ए) संख्या 01/230-232/जेपीआर/2025 के साथ
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

तथा

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 2" / "समामेलक कंपनी 1"), हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 3" / "समामेलक कंपनी 2") और हाइड्राइव डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 4" / "समामेलक कंपनी 3") का उनके संबंधित शेयरधारकों व लेनदारों के जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 1" / "समामेलित कंपनी") में समामेलन और व्यवस्था की योजना के संबंध में।

जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

CIN: L74999RJ1938PLC019511

एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम बसंतगढ़, जिला सिरोंही, राजस्थान - 307019 में स्थित है

...याचिकाकर्ता कंपनी 1/समामेलित कंपनी

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड

CIN: L26943RJ1993PLC007267

एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय श्रीपति नगर, सीएफए, डाकघर: डबोक, उदयपुर - 313022, राजस्थान में स्थित है

...याचिकाकर्ता कंपनी 2/समामेलक कंपनी 1

हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

CIN: U74899RJ1993PLC096253

एक सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोंही, राजस्थान - 307019 में स्थित है

...याचिकाकर्ता कंपनी 3/समामेलक कंपनी 2

हाइड्राइव डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: U23941RJ2012PLC096250

एक सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोंही, राजस्थान - 307019 पर स्थित है

...याचिकाकर्ता कंपनी 4/समामेलक कंपनी 3

कंपनी याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि समामेलित कंपनी में तथा उसके साथ समामेलक कंपनी 1, समामेलक कंपनी 2, समामेलक कंपनी 3 के समामेलन के लिये समामेलक कंपनी 1, समामेलक कंपनी 2, समामेलक कंपनी 3 तथा समामेलित कंपनी तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के समामेलन और व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016 ("नियम") के अंतर्गत दाखिल की गई कंपनी याचिका (सीएए) संख्या 5/230-232/जेपीआर 2025 ("याचिका") को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर पीठ ("एनसीएलटी") द्वारा दिनांक 17.04.2025 को स्वीकृत किया गया, और उसी तिथि को माननीय एनसीएलटी ने कुछ दिशा-निर्देश (जैसे विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों को सूचना भेजने और इस विज्ञापन को प्रकाशन हेतु) जारी किए हैं।

नियम 16 और माननीय एनसीएलटीके निर्देशों के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी के समक्ष इस याचिका की अगली सुनवाई की तारीख अब 29.05.2025 नियत की गई है।

यदि कोई व्यक्ति इस याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहते हों, तो वे याचिकाकर्ता कंपनी 1 के नीचे हस्ताक्षरित प्रतिनिधि या याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को अपना नाम और पता युक्त स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना याचिकाकर्ता कंपनी 1 या अधोहस्ताक्षरी के अधिवक्ता के पास इस तरह से भेजें ताकि वह याचिकाकर्ता कंपनी 1 के पंजीकृत कार्यालय (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में या याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के कार्यालय में उपर्युक्त सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम से कम 2 (दो) दिन पहले प्राप्त हो जाये। यदि कोई व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसे उक्त सूचना के साथ विरोध के आधारों के साथ एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा। उसके लिये निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की एक प्रतिउपलब्ध करायी जायेगी।

याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता,

कल्पतरु त्रिपाठी, अधिवक्ता

कैटी एडवाइजर्स एलएलपी

सीआईएसआरएस हाउस, 14 जंगपुरा बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110014

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

हस्ताक्षर

अमित चौरसिया

कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 13 मई, 2025

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
जयपुर पीठ के समक्ष

प्रपत्र संख्या एनसीएलटी 3ए
याचिका के विवरण का विज्ञापन
[राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियमावली, 2016 के नियम 35 के अंतर्गत]

कंपनी याचिका (सीएए) संख्या 5/230-232/जेपीआर/2025
जो संबंधित है
कंपनी योजना आवेदन (सी.ए.ए) संख्या 01/230-232/जेपीआर/2025 के साथ

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

तथा

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 2" / "समामेलक कंपनी 1"), हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 3" / "समामेलक कंपनी 2") और हाइड्राइव डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 4" / "समामेलक कंपनी 3") का उनके संबंधित शेरधारकों व लेनदारों के जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी 1" / "समामेलित कंपनी") में समामेलन और व्यवस्था की योजना के संबंध में।

जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

CIN: L74999RJ1938PLC019511

एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम बसंतगढ़, जिला सिरोंही, राजस्थान - 307019 में स्थित है

...याचिकाकर्ता कंपनी 1/समामेलित कंपनी

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड

CIN: L26943RJ1993PLC007267

एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय श्रीपति नगर, सीएफए, डाकघर: डबोक, उदयपुर - 313022, राजस्थान में स्थित है

...याचिकाकर्ता कंपनी 2/समामेलक कंपनी 1

हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

CIN: U74899RJ1993PLC096253

एक सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोंही, राजस्थान - 307019 में स्थित है

...याचिकाकर्ता कंपनी 3/समामेलक कंपनी 2

हाइड्राइव डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: U23941RJ2012PLC096250

एक सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोंही, राजस्थान - 307019 पर स्थित है

...याचिकाकर्ता कंपनी 4/समामेलक कंपनी 3

कंपनी याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि समामेलित कंपनी में तथा उसके साथ समामेलक कंपनी 1, समामेलक कंपनी 2, समामेलक कंपनी 3 के समामेलन के लिये समामेलक कंपनी 1, समामेलक कंपनी 2, समामेलक कंपनी 3 तथा समामेलित कंपनी तथा उनके संबंधित शेरधारकों और लेनदारों के समामेलन और व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016 ("नियम") के अंतर्गत दाखिल की गई कंपनी याचिका (सीएए) संख्या 5/230-232/जेपीआर 2025 ("याचिका") को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर पीठ ("एनसीएलटी") द्वारा दिनांक 17.04.2025 को स्वीकृत किया गया, और उसी तिथि को माननीय एनसीएलटी ने कुछ दिशा-निर्देश (जैसे विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों को सूचना भेजने और इस विज्ञापन को प्रकाशन हेतु) जारी किए हैं।

नियम 16 और माननीय एनसीएलटीके निर्देशों के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी के समक्ष इस याचिका की अगली सुनवाई की तारीख अब 29.05.2025 नियत की गई है।

यदि कोई व्यक्ति इस याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहते हों, तो वे याचिकाकर्ता कंपनी 1 के नीचे हस्ताक्षरित प्रतिनिधि या याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को अपना नाम और पता युक्त स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना याचिकाकर्ता कंपनी 1 या अधोहस्ताक्षरी के अधिवक्ता के पास इस तरह से भेजें ताकि वह याचिकाकर्ता कंपनी 1 के पंजीकृत कार्यालय (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में या याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के कार्यालय में उपयुक्त सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम से कम 2 (दो) दिन पहले प्राप्त हो जाये। यदि कोई व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसे उक्त सूचना के साथ विरोध के आधारों के साथ एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा। उसके लिये निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की एक प्रतिउपलब्ध करायी जायेगी।

याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता,

कल्पतरु त्रिपाठी, अधिवक्ता

केटी एडवाइजर्स एलएलपी

सीआईएसआरएस हाउस, 14 जंगपुरा बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110014

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 13 मई, 2025

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

हस्ताक्षर

अमित चौरसिया

कम्पनी सचिव